23/7/24

पत्रावली [illegible] आवेदक - प्रेमकुंवर [illegible] उप. / प्रा.पत्र 0268 [illegible]
प्रार्थी द्वारा प्रा.पत्र 0268 [illegible] पेश किया गया है जिसमें - उक्त वि. ग्रा. [illegible]
[illegible] हल्का पटवारी [illegible] रिपोर्ट [illegible] तथा -
[illegible] तथा -
[illegible]
[illegible] केवल साक्ष्य [illegible]
[illegible]
तथा प्रार्थना पत्र धारा 212 RTA स्वीकार [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] शामिल पत्रा. हो। पत्रा. फैसल होकर दाखिल
दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
[illegible] जिला जयपुर

# न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 139/2022
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022/273
किस्म प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 23.09.2024

1. मुंशीलाल पुत्र परसादी जाति ब्राह्मण निवासी विनउंआ तहसील नदबई।

प्रार्थी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र परसादी जाति ब्राह्मण निवासी विनउआं तह. नदबई।
2. रामेश्वर पुत्र बाबूलाल जाति ब्राह्मण निवासी विनउआं तह. नदबई।
3. आदित्य पुत्र रामेश्वर जाति ब्राह्मण निवासी विनउआं तह. नदबई।
4. प्रशान्त पुत्र रामेश्वर जाति ब्राह्मण निवासी विनउआं तह. नदबई।

अप्रार्थीगण

उपस्थित श्री जगवीर सिंह एड.(प्रार्थी की ओर से)

श्री ओमप्रकाश पाराशर एड.(अप्रार्थी की ओर से)

## निर्णय

**प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.**

1. यह कि उपरोक्त उनवानी वादपत्र न्यायालय श्रीमान में पेश किया जा चुका है। जिसमें कामयाबी की पूरी उम्मीद है।
2. यह कि विवादित आराजी हाल बंदोबस्ती खसरा नंबर 804/516 रकबा 0.09 है0 वाके ग्राम विनउंआ तहसील नदबई में स्थित है। जिसमें प्रार्थी न्यारानूर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।
3. यह कि उक्त विवादित आराजी वाके ग्राम बिनउआ से अप्रार्थीगण का कोई संबंध सरोकार नहीं है। परन्तु अप्रार्थीगण झगडालू व लठैत किस्म के व्यक्ति हैं जो आए दिन प्रार्थी की विवादित आराजी में दखलंदाजी करते हैं जिसका अप्रार्थीगणों को कोई हक हासिल नहीं हैं। लेकिन फिर भी अप्रार्थीगण प्रार्थी की उक्त आराजी में जबरदस्ती कब्जा करने व दखलदांजी करने की धमकी दी गई है। अतः प्रार्थी अप्रार्थीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करें कि प्रार्थी की आराजी

23/09/24

में किसी प्रकार की दखलंदाजी, मदाखलत मजाहमत न करें। तथा कब्जे से बेदखल न करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथीगण को जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से श्री ओमप्रकाश पाराशर एडवोकेट द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो संक्षिप्त में इस प्रकार है।

1. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 स्वीकार है, लेकिन सफलता की कोई उम्मीद नहीं है।
2. यह कि मद संख्या 2 विवादित आराजी प्रार्थी की दर्ज है लेकिन उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण का कब्जा है। तथा उक्त आराजी से प्रार्थी का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। उक्त खसरा नंबर प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सम्मिललित खातेदारी का रकबा था। प्रार्थी को बंटवारा से उक्त नंबर गलत रूप से आया जिसकी अपील आरएए भरतपुर में विचाराधीन है। मौके पर प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई कब्जाकाश्त नहीं है। उक्त विवादित आराजी में अप्रार्थीगण का एक पक्का कुआं व कृषि कनेक्शन है, डीपबोर लगा हुआ है। प्रार्थी जबरदस्ती उक्त खसरा नंबर की आड में खसरा नंबर 805/816 पर काबिज होने के फिराक में है। और न ही कोई धमकी दी गई। प्रार्थना पत्र प्रार्थी मनगढन्त व झूंठे तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2074–77 वाके ग्राम विनउआं पेश की गई।

अप्रार्थीगण द्वारा अपने जबाव प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल दावा निर्णय व डिक्री दिनांक 26.07.2019 उनवान मुंशीलाल बनाम बाबूलाल न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई, नकल फोटोकॉपी. अपील एवं ऑर्डरशीट न्यायालय आरएए भरतपुर उनवान बाबूलाल बनाम मुंशीलाल, नकल जमाबंदी खाता संख्या 11 एवं नक्शा अक्श वाके ग्राम बिनउआ पेश किए गए।

हमने प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ताओ कि बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तो पाया कि :–

1. <u>पृथमदृष्टया केस</u>– प्रार्थी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 188 आरटीए के तहत पेश किया गया जिसमें वादी/प्रार्थी की खातेदारी आराजी से बेदखल करने का कब्जो से बेदखली करने का अनुतोष चाहा गया है। वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के तहत पेश किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित आराजी हाल जमावंदी

23/09/24

सं. 2074 से 2077 के 804/516 रकबा 0.09 है0 वाके ग्राम.विनउंआ तहसील नदबई में स्थित है। जिसमें प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार अंकित है। उक्त विवादित आराजी खसरा नंबर प्रार्थी को कानूनी विभाजन से मुकदमा उनवान मुंशीलाल बनाम बाबूलाल वगै0 में निर्णय व डिक्री दिनांक 26.07.2019 से प्राप्त हुआ जो प्रार्थी का न्यारानूर खसरा नंबर है जिस पर काबिज काश्त है। उक्त विवादित आराजीयात से अप्रार्थीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है परन्तु अप्रार्थीगण प्रार्थी के न्यारानूर आए खसरा नंबर पर जबरदस्ती दखलदांजी करते हैं। जिस बाबत अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को दिनांक 04.07.2022 को भी धमकी दी गई। अतः उक्त विवादित आराजीयात में किसी प्रकार का दखलदांजी व कब्जे से बेदखल करने का कोई कानूनी अधिकार हक हासिल नहीं है। अतः प्रथम दृष्ट्या प्राईमाफेसी केस प्रार्थी के हक के हक में साबित है।

2. <u>सुविधा का सतुलन</u> – मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थी के हक में है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है।
3. <u>अपूर्ण क्षति</u> – अगर उक्त स्थगन आदेश से प्रार्थी को पाबन्द किया जाता है तो प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित रहेगा। जो एक अपूर्णीय क्षति होगी।

अतः उक्त बिंदुवार निर्णय के अनुसार प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन एवं अपूर्ण क्षति भी प्रार्थी के हक में बखूबी साबित है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा जारीशुदा स्थगन आदेश दिनांक 28.07.2022 को दावे के निस्तारण तक ताफैसला इस आशय के साथ कंफर्म किया जाता है कि प्रार्थी के आराजी खसरा नंबर 804/516 रकबा 0.09 है0 वाके ग्राम बिनउआ पर किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत न करें तथा प्रार्थी को कब्जे से बेदखल न करें।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2024. को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुदा कोकर दाखिल दफ्तर हो।

23/09/24
(गगांधर मीना)
सहायक कलक्टर
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर,नदबई